पारादीप पोर्ट नियम १९६६

नई दिल्ली

१९ दिस बर १९६६

जी.एस.आर. १९८२ इंडियन पोर्ट्स एक्ट १९०८ (१९०८ का १५) की धारा ६ की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करत हुये केन्द्र सरकार एतद्द्वारा पारादीप पोट के नि न लिखित नियम गठित करती है, इन्हें उक्त खड की उपधारा (२) द्वारा आवश्यकता अनुसार पूं में प्रकाशित किया जा चुका है नामत:

१. प्रारंभिक

१. लघु शीर्ष एवं आवेदन :-

१) इन नियमों को पारादीप पोर्ट रूल्ज़ १९६६ का नाम दिया जा सकता है।

२) इन नियमों में प्रदत्त पहलुओं से इतर ये नियम केवल पारादीप पोर्ट की स्थानीय सीमाओं के अन्दर ही लागू होंगे।

२. परिभाषाएँ :- संदर्भों से इतर इन नियमों में आवश्यक बातें :-

ए) ''एक्ट'' से आशय इंडियन पोर्ट एक्ट, १९०८ (१९०८ का १५) है।

बी) ''संरक्षक'' से आशय एक्ट के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा पारादीप

पोर्ट के लिये नियुक्त संरक्षक से है।

सी) ''जोखिम पूर्ण सामान'' से आशय इंडियन मर्चेंट शिपिंग (जोखिम पूर्ण

सामान की ढुलाई) रूल्ज़ १९५४ से है।

डी) ''जोखिम पूर्ण पेट्रोलियम'' से आशय २४.४ डिग्री सेंटीग्रेड ने नीचे उसके लैश प्वाईंट से युक्त पेट्रोलियम से है।

ई) ''उप-संरक्षक'' से आशय पोर्ट के समुद्री विभाग के प्रमुख से है

जिसमें हार्बर मास्टर या इस संदर्भ में समुद्री विभाग प्रमुख द्वारा विधिवत अधिकृत पायलट है।

एफ) ''ईंधन तेल'' से आशय उस पेट्रोलियम तेल से है जिस में लैश प्वाईंट ६५.६ डिग्री से कम नहीं होता और सामान्य तौर पर इस का इस्तेमाल इंजनों और भट्टियों में बतौर ईंधन होता है।

जी) किसी भी पोत से संदर्भ में ''मास्टर'' से आशय उस किसी भी ऐसे व्यक्ति (पायलट या हार्बर मास्टर के अलावा) से है जिसके पास फिलहाल उस पोत का प्रभार या नियंत्रण है।

एच) सामान के संदर्भ में ''मालिक'' से आशय किसी प्रेषण, पोतवणिक प्रेषिती या ऐसे सामान की बिक्री, अभिरक्षा, ढुलाई या उतराई हेतु एवं पोर्ट के प्रयोग करने के लिये किसी वैसल के संबंध में, एजेंट से है, तथा इसमें कोई अंशस्वामी, चार्टरर, प्रेषिती या उसके कब्जे के मामले में रेहनकर्ता भी शामिल है।

आई) ''पेट्रोलियम'' से आशय किसी भी लीक्विड हाईड्रो कार्बन या हाईड्रो-कार्बन का मिक्सचर और कोई भी ज्वलनशील मिक्सचर (लीक्विड विस्कोज़ या ठोस) जिसमें लीक्विड हाईड्रो-कार्बन हो , परन्तु इसमें आम तौर पर लुब्रीकेटिंग के कार्य हेतु प्रयुक्त किया जाने वाला तेल शामिल नहीं है और इस का लैश प्वाईंट ९३.३ डिग्री सैंटीग्रेड पर या इससे अधिक पर होता है।

जे) ''पायलट'' से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा ३ की उपधारा के तहत पायलट वैसल के लिये उस समय के लिये अधिकृत किया गया हो।

के) ''पोर्ट'' से आशय पारादीक के पोर्ट से है

एल) ''पोर्ट प्राधिकरियों'' से आशय केन्द्र सरकार द्वार नियुक्त
प्रशासक, पारादीप पोर्ट से है तथा इस में प्रशासक, पारादीप पोर्ट के
अधिकारी के तहत कार्यकर रहा पोर्ट का कोई अन्य अधिकारी भी
शामिल है ।

एम) ''टैंकर'' एक माल वाहक जहाज है जिसे ज्वलनशील प्रकृति
के लीक्विड माल की थोक में ढुलाई के लिये निर्मित किया या लिया गया है।

एन) ''ट्रैफिक मैनेजर'' से आशय ऐसे अधिकारी से है जिसे पोर्ट में ट्रैफिक संचालनों हेतु कुछ समय के लिये प्रभारी बनाया गया हो तथा इसमें डिप्टी एवं असीस्टैंट ट्रैफिक प्रबंधक तथा ट्रैफिक मैनेजर
के प्राधिकरण के तहत कार्यरत कोई अन्य अधिकारी भी शामिल है।

२. पोर्ट में जहाजों का प्रवेश

३. जहाजों के अपेक्षित आगमन की सूचना : (१) जब किसी जहाज के आने की अपेक्षा होती है तो उसके एजेंट, न्यूनतम अड़तालिस घंटे पहले उसके आने के संभावित समय की सूचना को उप संरक्षक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर, ट्रैफिक मैनेजर के साथ एक प्रति उप संरक्षक को भी भेजता है। विशिष्ट बर्थ्स, हैवी लि ट क्रेन्स एवं अन्य चाज़ों के संबंध में किसी विशेष आवश्यकता को ऐसी सूचना में प्रदर्शित किया जाता है। उनके सामान रखने के साथ अलग से प्रदर्शित हैवी लि टों एवं विशेष जहाज की वस्तुएं तथा द्वार अनुसार जहाज के वितरण के साथ पोर्ट पर लैंड करने वाले जहाज के विस्तृत विवरणों को या तो जहाज पहुंचने की सूचना के साथ संलग्न करना होगा या जहाज के आगमन से २४ घंटे पहले भेजना होगा। जहाज की यह सूचना तीन प्रतियों में होगी।

(२) संभावित जहाजों के एजेंटों को अपने हित में समय पर ट्रैपिक मैनेजर से संपर्क करना चाहिए आर उन्हें अपने इच्छित कामकाज की प्रकृति, मात्रा, भंडारण क्षमता के साथ-साथ जहाज संबंधी ऐसी जानकारियों से अवगत करा देना चाहिए क्योंकि ऐसा करना उसके उपयुक्त बर्थ पर जगह प्रदान करने के लिए आवश्यक होगा।

४ बर्थ का आवंटन: किसी जहाज का पोर्ट पर तब तक कोई दावा नहीं होगा जब तक कि उसे ट्रैफिक मैनेजर द्वारा विशेष रूप से जगह न दे दी जाए और डिप्टी कंजरवेटर द्वारा ऐसे स्थल आवंटन की जानकारी न दी जाए। इसके अलावा, पोर्ट पर किसी भी बर्थ का आवंटन तब तक अस्थायी माना जाएगा जब तक कि जहाज वास्तविक रूप से पोर्ट में प्रवेश के लिए तैयार न हो और ऐसी बर्थ पर उसकी उपयुक्त ता एवं अधिकार से ट्रैफिक मैनेजर संतुष्ट न हो जाएं।

५ चुनिंदा जहाजों के लिए प्राथमिकता: बर्थ का आवंटन ट्रैफिक मैनेजर के विवेकाधीन होगा और ये सब अनिवार्यता के विषयाधीन होगा। यानी सिग्नल स्टेशन को पहले दिखाई दिए और पहचाने गए जहाज को प्राथमिकता दी जाएगी। बशर्ते डिप्टी कंजरवेटर समय-समय पर अनुमति प्राप्त सैन्य दलों को चढ़ाते-उतारते जहाजों, यात्री जहाजों और किसी भी अन्य वर्ग के जहाजों को इस दिशा में घोषित किया जाता रहता है, उन्हें प्रथमिकता देने में भी प्राथमिकता बरती जाएगी।

६ बर्थ देने से इनकार करना: यदि ट्रैफिक मैनेजर को लगे कि किसी जहाज को पोर्ट में प्रवेश की अनुमति नहीं देने का पर्याप्त वाजिब कारण मौजूद है तो वह मामला डिप्टी कंजरवेटर को भेज सकता है और वह संबंधित जहाज को बर्थ देने से इनकार कर सकता है।

७ जहाजों पर मास्टर की कमांड होगी: किसी भी जहाज को पोर्ट में आने या जाने या एक बर्थ से दूसरे में जाने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक मास्टर उपलब्ध हैं। विशेष परिस्थितियों में ही, जैसे मास्टर की मृत्यु हो जाने, या गंभीर रूप से बीमार हो जाने की सूरत में डिप्टी कंजरवेटर से विचार-विमर्श के बाद विशेष प्रबंध किए जा सकते हैं।

८ डिप्टी कंजरवेटर के आदेश आदि की अनुपालना सुनिश्चित होगी: मास्टर और जहाजों के मालिक पोर्ट की ओर बढ़न, उसमें प्रवेश करने या वहां से बाहर निकलने की बारी और संबंधित तौर-तरीकों के मामले में डिप्टी कंजरवेटर के दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

९ पोर्ट में प्रवेश या बहिर्गमन: सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच पोर्ट में प्रवेश करने वाले या बाहर निकलने वाले सभी जहाजों को उन पर अपना राष्ट्रीय ध्वज लगाना होगा और जब भी वह पोट में दाखिल होगा तो हर जहाज अपने संकेत प्रदर्शित करेगा।

१० जहाजों का मार्गदर्शन: एक्ट के प्रवधानों के विषयाधीन और नि नलिखित शर्तों के अधीन सभी जहाजों के लिए मार्गदर्शन की अनुपालना अनिवार्य होगी, सिर्फ उन जहाजों को छोड़कर जिन्हें डिप्टी कंजरवेटर या वहां उनकी ओर से किसी अन्य विशेष रूप से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा द्वारा लिखित अनुमति प्राप्त हैं।

(ए) पायलट आते हुए जहाजों में चढ़ेंगे और निकलते जहाजों में से उतरेंगे जो फेयर लाइट बॉए के करीब ४केबल्स लैंथ सीवर्ड के तहत लैट २० डिग्री १४.५ एन लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे और उन जहाजों को उन्हें प्रदत्त बर्थ की ओर आते समय और वहां से निकलते समय आने-जाने की दिशा संबंधी मार्गदर्शन में उनकी सहायता करेंगे।

(बी) मास्टर ही पायलट को जहाज में लादी गई खतरनाक सामग्री को अलग करने, जहाज का मसविदा और उसके व्यवहार संबंधी मामलों की जानकारी देंगे और मार्गदर्शन के पूरा हो जाने व बर्थिंग या अनबर्थिंग की प्रक्रिया पूरी होने पर पायलट द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले निर्धारित प्रपत्र को पूरा करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे।

(सी) पोर्ट से बाहर निकलते किसी जहाज में यदि पायलट क्लॉज (डी) में वर्णित सीमाओं को लांघते हुए विशेष परिस्थितियां में सवार है तो मास्टर उस पायलट को अगले समीपवर्ती पोर्ट पर छोड़ने को बाध्य होगा और इस पर आया समूचा खर्च वहन करने का भी जि मेदार होगा।

(ई) पोर्ट में आते या बाहर जाते हर एक जहाज को इंडिया मरचेंट शिपिंग (पायलट लैडर) रूल्स, १९५३ के अनुरूप एक असरदार पायलट लैडर उपलब्ध कराया जाएगा। यदि पायलट को लगता है कि जहाज द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा रोप लैडर या मैन रोप असुरक्षित है तो वह जहाज में चढ़ने से इनकार कर सकता है या उसे छोड़ सकता है, जैसी भी परिस्थिति हो, ऐसा तब तक जब तक उसे जरूरत के अनुरूप मजबूत और असरदार मैन–रोप उसे उपलब्ध नहीं करा दी जातीं।

(एफ) जहाज आउटर चैनल फेयर बॉयज के भीतर (पारादीप संबंधी सी एडमिरेटी चार्ट सं या ५३८ और चार्ट दे ।) या आउटर चैनल फेयर बॉयज द्वारा चिन्हित प्रवेशद्वार के भीतर ४ केबल्स लैंथ के दायरे में या अन्य प्रतिबंधित स्थानों पर लंगर नहीं डालेंगे और न ही मास्टर पायलट लेने की मंशा से चैनल में दाखिल होने का प्रयास करेगा।

(जी) जहाज में पायलट के सवार होने पर यदि वहां कोई दुर्घटना हो जाती है और यदि मास्टर को पायलट की कमांड में जहाज संभालने या ऑन–ड्यूटी पायलट द्वारा उसे प्रदत्त सलाह के मामले में कोई शिकायत है तो वह तत्काल डिप्टी कंजरवेटर को दुर्घटना की सूचना देंगे जो तत्काल विभागीय जांच शुरू करेंगे। यदि दुर्घटना पोर्ट से बाहर निकलते समय हुई है तो मास्टर इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके अगले पोर्ट ऑफ कॉल से सीधे डिप्टी कंजरवेटर को भेजेंगे। इस रिपोर्ट में संबंधित वाकये के किसी गवाह के हस्ताक्षर होन चाहिए।

(एच) कोई भी जहाज मौसम के मद्देनजर ऑनबोर्ड पायलट के बिना पोर्ट को छोड़ सकता है, इसके लिए उसे डिप्टी कंजरवेटर से ऐसा करने का अधिकार होना चाहिए और उसे इसके लिए अपनी मंशा से पोर्ट सिग्नल स्टेशन को अवगत कराना होगा।

११ पोर्ट की कर्षण नौकाओं का इस्तेमाल: पोर्ट की सीमाओं में जहाज चलाते समय मास्टर पोर्ट की कर्षण नौकाओं के इस्तेमाल को बाध्य होगा।

१२ तस्वीरें आदि लेना: ट्रैफिक मैनेजर की लिखित मंजूरी लिए बिना किसी को भी अनुमति नहीं होगी कि :

(ए) वह तस्वीरें खींचने या स्कैच बनाने, नक्शा बनाने, मॉडल तैयार करने के इरादे से अपने साथ कैमरा या अन्य कोई उपकरण साथ ले जाए

(बी) तस्वीरें उतारें या किसी डॉक एरिया में चलते-फिरते या स्थिर सामान या इमारत या अधिष्ठान का स्कैच बनाए, नक्शा तैयार करे या मॉडल बनाए

स्पष्टीकरण: इस नियम के उद्देश्य हेतू में 'डॉक एरिया' में नि नलिखित शामिल होगा, नामत:

(१) पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी समुद्र तट से सटे लैगून या घूमते बेसिन के किनारे कंटीली तार के घेरे वाले इलाके

(२) चारदीवारी से घिरे आयरन ओर बर्थ का इलाका

(३) समय-समय पर कंजरवेटर द्वारा सुरक्षित घोषित कोई भी अन्य इलाका

१३ तारों, मोटे तारों की आपूर्ति: पोर्ट में प्रवेश करने वाले जहाजों को ऐसी स्टील की तारों व अन्य मोटी-मोटी तारों की आपूर्ति किए जाने की तैयारी रहती है जिनकी वहां जहाजों के लंगर डालने में जरूरत पड़ती है।

१४ जहाज का क्रू और तैयारी के लिए उपकरण: समुद्री जहाजों के मास्टर या मालिक अपने पोतों पर पर्याप्त सं या में कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करेंगे और अपने जहाजों को पोर्ट के अंदर लाने या वहां से बाहर ले जाने में काम आने वाले जरूरी उपकरण भी तैयार रखंगे। ऐसा नहीं होने पर या जहां जरूरी हो वहां डिप्टी कंजरवेटर ऐसे कर्मियों की आपूर्ति करेंगे और ऐस जरूरी उपकरण उपलब्ध कराएंगे जो मास्टर या जहाज के मालिक के खर्च पर उन्हें आवश्यक प्रतीत होते हों।

१५ अन्य बचावात्मक उपाय: (ए) पोर्ट में प्रवेश करते समय या उसे छोड़ते हुए या बाहर निकलते समय या लंगर पर टिके जहाज को अलग करने के लिए उसे किसी भी समय आजाद करने के लिए दोनों एंकर तैयार रखने होंगे।

(ख) पोर्ट में प्रवेश करते समय, उसे छोड़ते हुए, वहां से निकालते समय घाट उसे प्रक्षेपणों से आजाद करने को तत्पर रहंगे। उनकी नौकाएं, क्रेन और बड़ा भार उठाने वाले यंत्र आदि भी वहां लगा दिए जाएंगे और गैंगवे लैंडर्स भी उपलब्ध होंगे।

(सी) ऐसी सभी दुर्घटनाओं की जि मेदारी जहाजों के मास्टर या मालिकों की होगी जो क्लॉज ए व बी में प्रदत्त बचावात्मक उपाय अपनाने में नाकामी के बाद वहां घटित हो सकते हैं।

१६ पोर्ट एंट्रेंस चैनल के बाहर खड़े जहाज को हटाया जाएगा: डिप्टी कंजरवेटर जब चाहे और जरूरी हो पोर्ट के प्रवेश द्वार के समीप समुद्री तट पर या चैनल के फेयरवे में या तट के मार्गदर्शक पानी में एंट्रेंस चैनल के समीप खड़े जहाज को मास्टर या मालिक द्वारा हटाया जाएगा। यदि उसे तत्काल वहां से नहीं हटाया जाता तो डिप्टी कंजरवेटर के आदेश पर जोखिम उठाते हुए ओर उस जहाज के मास्टर या मालिक के खर्च पर उसे वहां से हटा दिया जाएगा।

३ पोर्ट में जहाजों के लिए नियमन

१७ मास्टर आदि को अपना जहाज उसके निर्धारित बर्थ पर लगाना होगा: (१) पोर्ट के भीतर सभी जहाजों को उन्हीं बर्थ पर खड़े करना होगा जो उन्हें ट्रैफिक मैनेजर या डिप्टी कंजरवेटर द्वारा प्रदत्त हैं और वे उनका स्थान बदल सकते हैं या दोनों अधिकारियों में से किसी के भी आदेश पर उन्हें वहां से हटाया जा सकता है।

(२) कोई भी जहाज उस रस्सी या तार को तब तक नहीं खोलेगा जो उसे जल्द घुमाने में मददगार हो, जब तक पायलट या चलते जहाज के प्रभारी हार्बर मास्टर द्वारा ऐसा करना जरूरी न हो

१८ जहाज में माल चढ़ाने का खराब द्वार बंद करना: जो माल ढुलाई वाले जहाज काम न कर रहे हों को अपने सभी माल ढुलाई वाले द्वार बंद रखने होंगे या उन्हें अच्छे से सहेजना होगा।

१९. डिप्टी कंजवेटर के आदेशों के अधीन पोर्ट में मूरिंग, अनमूरिंग और चलते-फिरते जहाज:

जहाजों के मास्टर या मालिक पोर्ट के भीतर किसी जहाज की मूरिंग, अनमूरिंग और उनके चलने-फिरने के संदर्भ में डिप्टी कंज़रवेटर के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और कोई रुकावट नहीं डालेंगे। कोई भी जहाज डिप्टी कंजरवेटर की लिखित में पूर्वानुमति के बिना अपनी जगह से हिलेगा नहीं।

यदि जरूरत हुई तो डिप्टी कंजरवेटर अपने आदेशों को लागू करने के लिये ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं और इस कार्रवाई पर आने वाला कोई भी खर्च, जहाज के मास्टर या मालिक द्वारा आदेशों की अवहेलना करने पर लगाये गये किसी दंड में भेद भाव किये बिना उस मास्टर या मालिक द्वारा वहन किया जाएगा। जहाजों के मास्टर अपने जहाजों में ढ़ोये जाने वाले अधिकतम माल के मामले में डिप्टी कंजरवेटर की अनुमति लेंगे।

२०. गलत ढ़ंग से मूरिंग :-

जहाजों के मास्टर या मालिक पोर्ट के अपने जहाजों की रह्वस्सियां और मोटी तारें विशेष रूप से निर्धारित किये गये स्थानों के अलावा किसी अन्य स्थान पर नहीं बांधेंगे।

२१. सक्षम लोगों के प्रभार के अधीन जहाज़ :-

जब भी कोई जहाज पोर्ट में खड़ा रहता है तो उसका मास्टर या कोई भी अन्य जि मेदार अधिकारी और पर्याप्त सं या में क्रू मे बर्स हमेशां जहाज़ पर रहेंगे।

२२. जहाज के डक पर रखने होंगे पहरेदार :-

पोर्ट में खड़े हर एक जहाज़ के लिये उसके डैक पर हमेशां एक क्वार्टर मास्टर या पहरेदार तैनात रहेगा जो जहाज के शोर गंग वे का प्रभारी होगा और जहाज को बांधने वाली रस्सियां और पंक्तियों को संभालगा। वह जहाज़ों को पोर्ट में व्यवस्थित रखने का भी जि मेवार होगा और ऐसा नहीं करने पर उस जहाज़ के मास्टर या मालिक को उसकी वजह से होने वाले नुकसान का जि मेवार ठहराया जाएगा।

२३. जहाज के उत्प्रेरक पर होगी रोक :-

जब भी कोई जहाज़ पोर्ट के भीतर टिका होगा या बंधा होगा तो डिप्टी कंजरवेटर की लिखित में पूर्वानुमति के बिना और उनके द्वारा निर्देशित ऐसी शर्तों के विषयाधीन किसी भी उत्प्रेरक को बिजली से नहीं चलाया जाएगा। ऐसी अनुमति से इतर जहाज़ों के मास्टर और मालिक हर उस नुकसान के लिये जि मेवार होंगे जो प्रोपैलर को बिजली या हाथ से चलाये जाने के बाद हो सकता है।

२४. पोर्ट में गिरे एंकर और अन्य गियर उठाने होंगे:-

जहाज़ों के मास्टर पोर्ट में उनके जहाजों से गिरने वाले किसी एंकर या अन्य गियर को तत्काल उटाने के जि मेदार होंगे और वे पानी में गिरा ऐसा कोई भी एंकर या गियर उठाने के लिये हर आवश्यर संभव कदम उठायेंगो।

२५. जहाज़ों को उचित ढ़ंग से बैलास्ट करना होगा:-

पोर्ट में जहाजों को इस तरह से लोड या बैलास्ट कर के रखा जाएगा कि आग लगने या किसी अन्य आपातकाल में उन्हें उन के बर्थ से बिना किसी जोखिम के हटाया जा सके।

२६. जहाजों की मर मत :-

पोर्ट में जहाज़ों की मर मत के इच्छुक मास्टरों को अपने दिमाग में नि नलिखित शर्तों को रखना होगा, नामत:-

१-जहाजों को डिप्टी कंजरवेटर से पहले अनुमति लिये बिना गति हीन नहीं किया जाएगा।

२-जहाजों को उनके बर्थ से हटाया जा सकता है जब उनकी जरूरत अन्य जहाज़ों में लदे माल को उतारने के लिये चाहिये होगी।

३-यदि वे चाहें, तो डिप्टी कंजरवेटर जहाज़ों की मर मत या ठुकाई (चिपिंग) के दौरान होने वाले अत्यधिक शोर शराबे को १०.००बजे से १७.००बजे के बीच प्रतिबंधित कर सकता है।

४-इंधन तेल के भंडारण टैंक के दायरे में या यूल सिस्टम में तेज़ रौशनियों, गैस कटिंग और वेल्डिंग उपकरणों से मर मत या किसी व्यक्ति के किसी इंधन भंडारण टैंक में प्रवेश या जिस जहाज में तेल ईंधन भरा हो. वहां ऐसी मर मत तब तक शुरु नहीं की जा सकती जब तक

सक्षम प्राधिकारी से गैस फ्री सर्टीफिकेट प्राप्त कर लिया जाए।

२७. सामान आदि को पोर्ट में गिराने की अनुमति नहीं होगी:-

किसी जहाज़ से पोर्ट चैनल या पोर्ट के अन्दर कोई माल, सामान या कुछ अन्य पदार्थ गिराने की अनुमति नहीं होगी

२८. पानी में गिरने वाले माल, सामान आदि की सूरत में नोटिस दिया जाएगा :-

पोर्ट में किसी ऐसे जहाज में लोडिंग-अनलोडिंग करते कर्मचारियों या किसी व्यक्ति या मास्टर या मालिक, जो किसी माल, सामान या पदार्थ को जहाज से पानी में गिराने की अनुमति देता है तो उसे इस पर नोटिस दिया जाएगा और इसका पूरा ब्यौरा ट्रैफिक मैनेजर और डिप्टी कंज़रवेटर को उपलब्ध कराया जाएगा और वे पानी से ऐसा माल, सामान और पदार्थ हटाये जाने की दिशा में तत्काल कदम उठायेंगे।

२९. पानी में गिरे सामान की रिकवरी:-

जहाज़ का कोई भी व्यक्ति मास्टर या मालिक या कर्मचारी जो नियम २८ के अधीन समुद्र के पानी से माल सामान या कोई अन्य पदार्थ हटाने में

उसके लिये डिप्टी कंज़रवेटर द्वारा प्रदत्त नोटिस में दी गई समयावधि के भीतर असफल रहता है तो डिप्टी कंज़रवेटर उस सामान या पदार्थ को हटवा सकता है वह भी जहाज के व्यक्ति मास्टर मालकि या कर्मचारी से वसूले गये खर्च पर, वह भी थोपे गये किसी अन्य दंड के मामले में पूर्वाग्रह के बिना, जिस के लिये वे जवाबदेय है।

३०. बिना मंजूरी के धूल-मिट्टी, कचरा आदि जहाज़ के घाट पर जमा नहीं किया जाएगा:-

ट्रैफिक मैनेजर की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति जहाज के तट पर, शैड में या पोर्ट के किसी हिस्से में किसी तरह की धूल-मिट्टी, बाल्टियां, बोतलें, कूड़ा कचरा, मल, बेकार सामान, छीलन आदि ख़ली सामग्री या पदार्थ जमा नहीं करेगा।

३१. पोर्ट के भीतर सामग्रियां गिराने, कचरा आदि जमा करने पर रोक :-

जहाजों के मास्टर या मालिक या उसमें माल चढ़ाने उतारने वाले कर्मचारी किसी तरह की धूल-मिट्टी, इंटें कोयला, कचरा, पत्थर या अन्य किसी भी किस्म की ख़ली सामग्री जो सामान की लदाई-उतराई आदि में इस्तेमाल की जाती है, को डिप्टी कंजरवेटर के संज्ञान में लाने के बाद उन्हें संतुष्ट करने पर ही यह सामान समुद्र तट पर ऐसे स्थानों पर रखा जाना चाहिये जो ट्रैफिक मैनेजर द्वारा निर्धारित किये गये हैं। और मामला जैसा भी हो जहाज के मास्टर मालिक या कर्मचारी उन्हें उन स्थानों से हटा सकते हैं।

३२. तैलीय चिपचिपी गन्दगी को पोर्ट में बहाया नहीं जाएगा :- किसी जहाज को तैलीय चिचिपाहट से युक्त पानी को पोर्ट में बहाने की अनुमति नहीं होगी जिससे वहां पानी गंदा होने की संभावना हो, यदि किसी जहाज के आसपास किसी भी तरह का तेल तैरता पाया गया तो वह तेल उस जहाज का नहीं है यह बात प्रमाणित करने की जि मेदारी जहाज के मास्टर की होगी।

३३. जहाजों की साफ सफाई :-

जहाजों की साफ सफाई या रंग-रोगन के काम पर किसी व्यक्ति के नियुक्त नहीं किया जाएगा और ना ही पोर्ट में जहाज के मटमैले पानी बॉयलर या दोहरे तल पर कामकाज के लिय रखा जाएगा। ऐसा केवल इस संदर्भ में डिप्टी कंजरवेटर द्वारा निर्धरित समय के भीतर ही करना होगा।

३४. जहाज के डैक से प्रोजैक्शन :-

जहाज के डैक से होने वाला प्रोजैक्शन यदि पोट्र में किसी अन्य जहाज की लोडिंग या अनलोडिंग में बाधक बनता है तो उसे ट्रफिक मैनेर के आग्रह पर तत्काल हटाना होगा।

३५. फैंडर :- पोर्ट द्वारा तटों, बर्थ पर उपलब्ध कराये गये फैंडर, जहाज के मास्टर या उनके कर्मियों द्वारा न तो हटाये जाएंगे और न ही उठाये जाएंगे।

३६. साऊंड सिगनल :- ध्यान आकर्षित करने के लिये पोर्ट की समय सीमा के भीतर जहाज में लगे साऊंड सिगनल का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। केवल

समुद्र में जहाजों की टक्कर रोकने हेतु अंतर्राष्टीय नियमनों के नियम १५, २८ और ३१ में प्रदत्त उद्देश्यों को छोड़कर और ऐसे आपातकाल में जब जहाज की सुरक्षा को देखते हुये तट से सहायता की जरूरत हो या पायलट को यह फिर पायलट को यह करना उचित

जान

पड़ता हो।

३७. नौकाओं आदि की डूबना :- बन्दरगाह में किसी भी जहाज का मास्टर या मालिक जहां माल उतारते - चढ़ाते समय या कोई नौका पानी में डूब

जाये तो उस स्थान और तथ्य की जानकारी डिप्टी कंजरवेटर को देनी होगी।

३८. खतरनाक जानवर और हथियार :- खतरनाक जनवरों और गोली बारूद से भरी बन्दूकों को पोर्ट मे खड़े किसी भी जहाज में रखने या

लादने की अनुमति नहीं होगी।

३९. खतरनाक माल आदि के साथ जहाज:- डिप्टी कंजरवेटर पोर्ट से ऐसे सभी जहाज तत्काल हटा लिये जाने के आदेश दे सकते हैं। जिन में

खतरनाक जानवर या अन्य गैर-कानूनी या जोखिमपूर्ण माल अथवा संक्रामक बीमारियों से ग्रस्त लोग हों।

४०. नुकसान के लिये जहाजों के मास्टर आदि जि मेदार होंगे - उनके नौकरों की लापरवाही के कारण पोर्ट की स पत्ति या उसके किसी भो अधिष्ठान को हुये नुकसान या क्षति के लिये उन जहाजों के मास्टर और मालिक जि मेदार होंगे तथा डिप्टी कंजरवेटर को उनके जहाज तब तक

पोर्ट पर ही रोके रखने का अधिकार होगा, जब तक वे नुकसान या क्षति की भरपाई न कर दें या ऐसे भुगतान के बदले कोई धरोहर न रख लें।

४१. पोर्ट में खडे जहाज आदि का जोखिम मास्टरों आदि का होगा :-

पोर्ट में खड़े सभी जहाज अपने मास्टरों और मालिकों के जोखिम पर होंगे जिन्हें उनके त्रुटिपूर्ण संचालन या एंकरों अथवा तारों से अलग करते समय किसी कारण वश वहां कोई नुकसान या क्षति पहुचती है तो उन्हें ही जि मेवार ठहराया जाएगा।

४२. क्रू मैंबर्स आदि के कामकाज के लिये जि मेदारी मास्टरों आदि की :-

४३. उनके द्वारा अपने जहाजों में अन्दर या बाहर नियुक्त क्रू मै बर्स और किसी भी अन्य व्यक्ति की गतिविधियों के लिये उन जहाजों के मास्टरों और मालिकों को जि मादार ठहराया जाएगा।

४३. विलंब आदि के लिये पोर्ट अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं :-

किसी जहाज के पोर्ट में प्रवेस करने, वहां खड़े रहने, वहां से निकलने या उनके नियन्त्रण से बाहर परिस्थितियों के चलते माल की लोडिंग या अनलोडिंग के विल ब में पोर्ट के अधिकारी जवाबदेय नहीं होंगे।

४४. जहाजों मेंआग की सूचना मास्टरों को देनी होगी :-

१- जहाज में लगी आग को देखते ही कोई व्यक्ति तत्काल -

ए) जहाज के किसी अधिकारी को सूचित करेगा जो उपनियम (२) के अधीन आवश्यक खतरे की घंटी बजायेगा।

बी)- यदि कोई जहाज तट पर खड़ा है तो उसे समुद्र की धारा पर खड़े-खड़े लगी आग का मामला माना जाएगा और उपनियम (२) के अधीन

आवश्यक खतरे की घंटी बजाई जाएगी और जहाज के अधिकारी को भी सूचित किया जाएगा जो उपनियम (२) के अधीन आवश्यक खतरे की घंटी भी बजायेगा।

२- खतरे की घंटी बजाने के लिये नि नलिखित तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा।

१) अ लोट बाय डे - तब तक अंतर्राष्ट्रीय ध्वज फहरायें, जहाज की सीटी या सायरन में लगा डी-क्यू साऊंड तब तक बजाएं, जब तक दमकल दस्ता मौके पर नहीं पहुंच जाता।

२) अ लोट बाय नाईट – उपरोक्त की भांति सीटी सायरन बजाएं, छः फीट की ऊंचाई पर दो लाल बत्तीयां दिखायें या फहरायें। जब जहाज तट के आसपास हो तो उपरोक्त प्रक्रिया के अलावा टेलीफोन से भी सूचना दी जा सकती है।

३) दिन या रात तट के आसपास :- नज़दीकी टेलीफोन की ओर भागें और पोर्ट एक्स्चेंज में फोन लगाएं और स पर्क होने पर साफ-साफ बतायें :

जहाज में आग तट पर खड़े जहाज में आग

नोट :- पोर्ट के पीबीएक्स ऑपरेटर को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि पोर्ट दमकल कार्यालय से बिना किसी विल ब के स पर्क कराया जाए।

४५. अंडर वाटर बचाव या मर मत पर रोक :- कोई भी व्यक्ति डिप्टी कंजरवेटर या उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी की पूर्वानुमति लिये बिना पानी के नीचे एंकरों, तारों अथवा गुम हुये माल का बचाव नहीं करेगा और ना ही पानी के नीचे जहाजों की कोई मर मत ही करेगा।

(४) जहाजों की लोडिंग अनलोडिंग हेतु तटों और शैडों के संदर्भ में तथा सामान की डिलीवरी और शिपमेंट के नियम

४६. पोर्ट पर ट्रैफिक मैनेजर के अधीन काम काज :-

पोर्ट पर जहाजों की लोडिंग अनलोडिंग वहां ट्रैफिक मैनेजर के नियन्त्रण के विषयाधीन होगी, जो अपने विवेक से ऐसा सामान निकालने पर रोक लगा सकता है जो उसकी नज़र में पोर्ट पर ट्रैफिक को बाधित करता हो अथवा भीड़ भाड़ पैदा करता हो या पोर्ट के सुविधाजनक इस्तेमाल में बाधा बनता हो। ट्रैफिक मैनेजर अपने विवेक से ऐसे सामान का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करा सकता है जिसक पोर्ट परिसर में उतारे जाने पर या उसके बाद वहां ट्रैफिक में परेशानी आती हो या भीड़-भाड़ बढ़ती हो। पोर्ट पर प्रत्येक जहाज द्वारा लिये जाने वाले स्थान के बारे में फैसला उसी तरह ट्रैफिक मैनेजर पर ही आधारित होगा।

४७. क्रेनों का इस्तेमाल :- मालवाहक जहाजों से सामान उतारने या चढ़ाने के लिये क्रेनों का आबंटन ट्रैफिक मैनेजर के विवेकाधीन होगा।

४८. खाली खड़े जहाज :- यदि ट्रैफिक मैनेजर को लगे कि कोई जहाज वहां पोर्ट पर बिना किसी काम काज के खड़ा है तो वह अपने विवेक से

उसे उस के स्थान से हटाने या पोर्ट से निकाल बाहर करने के आदेश दे सकता है।

४९. धीरे-धीरे काम करने वाला जहाज :- पोर्ट पर माल वाहक जहाज में से माल उतारते- चढ़ाते समय उसे अपनी जगह, उस सूरत में खाली

करनी पड़ेगी यदि उसके काम काज की गति अन्य माल वाहक जहाजों की ढुलाई उतराई की तुलना में औसत से कम हो।

५०. माल उतारने चढ़ाने से पहले जहाजों को बांधना होगा:- पोर्ट पर किसी जहाज में सामान लादने या उतारने की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक उसे नियत स्थान पर बाध नहीं लिया जाता।

५१. थोक में सामान अलग-अलग करने या लोडिंग शुरू करने से पहले घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा --

१. जहाज में थोक सामान को अलग अलग करने की अनुमति दिये जाने से पूर्व पोर्ट पर माल उतारने वाले संबंधित जहाज के मास्टर, मालिक या एजेंट ट्रैफिक मैनेजर को इ पोर्ट जनरल मैनीफेस्ट की असल प्रति सौंपेंगे, जो स्पष्ट तौर पर छः कार्यकारी दिवसों से कम नहीं होनी चाहिये।

इस घोषणा पत्र में जहाज में लदे लीटरों में थोक तरल पदार्थों और अन्य मामलों में सकल किलो वजन के सामान समेत ऐसे प्रत्येक कंसाईनमेंट का

पूर्ण विवरण दिया होगा। निर्धरित समयावधि में यह घोषणा पत्र नहीं दिये जाने पर संबंधित जहाज को पोर्ट पर थोक में लदे सामान को आलग

अलग करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी, जिस कंसाईनमेंट मेंअलग अलग वज़न के डिब्बे शामिल होंगे उस सूरत में ऐसे प्रत्येक डिब्बे का मीट्रिक सिस्टम में सकल वजन अलग से बताना होगा।

(२) लोहे और इस्पात की कंसाइनमेंट्स के डिब्बों में से प्रत्येक पर (ए) विवरण, (बी) मात्रा और (सी) वजन अंकित रहता है, एसी सूची को भी थोक माल को खोलने की अनुमति से पूर्व जमा करना होगा।

(२) यदि किसी अन्य पोर्ट के लिए या पोतांतरण हेतू कारगो को माल उतारने के लिए स्वीकृत किया गया है तो उसके सकल वजन के मीट्रिक सिस्टम सहित उसके पूर्ण विवरण का अनुपूरक घोषणापत्र ऐसे कारगो को माल उतारने की मंजूरी दिए जाने से पूर्व वहां दर्ज कराना होगा, यदि मालवाहक जहाज के लिए असल इंपोर्ट मेनिफेस्ट में दर्ज ऐसी असाइनमेंट्स का ब्यौरा पहले से शामिल नहीं है।

(३) ट्रैफिक मैनेजर के कार्यालय में सामान के पोत लदान हेतू जमा कराए गए हर एक निर्यात आवेदन और हर एक कस्टम एस्सपोर्ट शिपिंग के बकाया के आकलन हेतू पेश किए गए बिल में कारगो के विवरण, कारगो की मात्रा और हर एक कंसाइनमेंट का मीट्रिक सिस्टम में सकल वजन समेत दस्तावेजों सहित दर्ज होगा तथा उसमें थोक में भरे गए तरल पदार्थों की लीटर मात्रा भी दर्ज होगी जहां अलग-अलग वजन वाले हर एक कंसाइनमेंट में हर एक गट्ठे का मीट्रिक सिस्टम में सकल वजन अतिरिक्त रूप में दर्ज होगा।

(४) पोर्ट स बाहर निकल रहे कारोबारी जहाज चाहे वह भरा हो या पूरक भार सहित हो, तो उसके एजेंटों को जहाज के निर्यात घोषणापत्र की प्रति सहित ट्रैफिक मैनेजर को अपनी निकासी से तीन दिन पूर्व बताना होगा।

५२ जहाज से माल वितरण करने वालों और माल पाने वालों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज: सामान के आयात-निर्यात की अनुमति वाले सभी आवेदन ट्रैफिक मैनेजर के कार्यालय द्वारा स्वीकृत फॉ र्स में किए जाएंगे और ऐसे फॉ र्स हर एक मामले में सही ढंग से भरे जाएंगे और उन पर माल वितरण करने वालों और माल पाने वालों या उनके एजेंटों के हस्ताक्षर होंगे। ट्रैफिक मैनेजर द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा जरूरत पड़ने पर या जांच-पड़ताल हेतू बुलाए जाने से इतर सभी आवश्यक दस्तावेज शिपिंग के समय या सामान की उतराई के समय जब कारगो को आवेदन-पत्र में दर्ज उसे लाने की अनुमति प्राप्त जहाज के अलावा किसी जहाज द्वारा माल वितरण करने वालों और माल पाने वालों या उनके एजेंटों द्वारा प्रस्तुत किए जाने होंगे, ट्रैफिक मैनेजर को एक नया आवेदन करना होगा।

५३ डिब्बों को खोलना: आयातक, निर्यातक या मालिक द्वारा ट्रैफिक मैनेजर की अनुमति के बिना बंदरगाह के अंदर मूल्यांकन, पड़ताल, सर्वेक्षण के लिए कोई भी गट्ठा खोला नहीं जाएगा।

५४ पोर्ट से लोहे, इस्पात, मशीनरी के गट्ठे, लंबे और भारी लि ट्स को हटाना: पोर्ट पर उतारे गए लोहे, इस्पात मशीनरी के गट्ठे, लंबे व भारी लि ट्स को माल पाने वाले पक्ष, मालिक या आयातकों की लागत पर ट्रैफिक मैनेजर के विवेकाधीन यदि उसे लगता है कि पोर्ट पर सुरक्षित एवं सुविधाजनक कामकाज हेतू ऐसा करना आवश्यक है तो, उन्हें बिना कोई नोटिस दिए हटाया जा सकता है।

५५ लट्ठर को ठिकाने लगाना: ट्रैफिक मैनेजर की अनुमति के बिना पानी में किसी जहाज से लट्ठे नहीं गिराए जाएंगे और यदि उन्हें गिरया गया है तो उन्हें पोर्ट से बाहर निकालना होगा।

५६ कोयले व अन्य शुष्क कारगो की उतराई और शिपमेंट:

(१) कोयले या थोक में किसी अन्य शुष्क कारगो की शिपमेंट या पोर्ट में किसी जहाज से या उसमें निकासी को ट्रैफिक मैनेजर की लिखित अनुमति के ही साथ प्रभावी बनाया जा सकता है जो ऐसे मामलों में इससे इनकार कर सकता है जहां उन्हें लगता हो कि जहाज में से कोयला या अन्य कोई सूखा पदार्थ संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है।

(२) तट से या पर थोक में या किसी अन्य रूप में कोयला या अन्य सूखा सामान उतारने की अनुमति आयातक या माल वितरण करने वालों और माल पाने वालों या उनके अनुमोदित एजेंटों की उस सहमति के विषयाधीन होगा कि पीछे बची गंदगी साफ करने पर आने वाली पूरी लागत को वे वहन करने को तैयार होंगे।

५७ कला, सोने-चांदी की ईंटों का कामकाज: पोर्ट ऐसे किसी भी गट्ठे की जि मेदारी स्वीकार नहीं करेगा जिसमें कलात्मक वस्तु या कलात्मक सामान जिसकी कीमत उसके समेत ५०० रुपए से ज्यादा हो या मुद्रा, सोना-चांदी, सोना-चांदी से बना सामान, बेशकीमती स्वर्णाभूषण, बेशकीमती पत्थर या मूंगा समेत बहुमूल्य सामान भरा हो, जब तक पोर्ट पर उस गट्ठे के पहुंचने या उतारे जाने से छह घंटे पूर्व इस बाबत मालिक या माल पाने वाले की ओर से एक नोटिस ट्रैफिक मैनेजर को नहीं दे दिया जाता और उसकी पावती नहीं ले ली जाती। वरना उपरोक्त साजोसामान से भरे किसी भी गट्ठे को कस्टम हाउस पहुंचा दिया जाएगा या मालिक के जोखिम पर शेड पोर्ट में रखा जाएगा जो वहां जोखिमपूर्ण हालात में तब तक पड़ा रहेगा जब तक उसे क्लीयर नहीं करा लिया जाता।

५८ कारगो की लोडिंग और अनलोडिंग से पोर्ट की बदबूदार गोदी: (१) शीरा और उसी किस्म के अन्य सामान जिनसे पोर्ट की गोदी, ट्रांजिट शेड्स बदबूदार हो सकते हैं या अन्य सामान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, को ट्रैफिक मैनेजर की अनुमति से ही पोर्ट पर जहाज से उतारा जा सकता है और यह जहाज के मालिक या माल पाने वाले के उस आश्वासन के विषयाधीन होगा जिसमें वह पोर्ट अधिकारियों को उन स्थानों की बाद में साफ-सफाई कराने पर आया खर्च अदा करने पर सहमत होंगे।

(२) सब्जियों, मछलियों या अन्य तैलीय पदार्थों के थोक में पहुंचे ड्रमों या अन्य संदूकों आदि से पोर्ट पर उन्हें निथारने या निचोड़ने की अनुमति नहीं होगी। यदि तैलीय पदार्थों वाले शिपमेंट को लाया जाना भी है तो टैंक वेगनों या टैंक लॉरीज में लाया जाएगा या वहां से सीधे जहाज के टैंक में पहुंचाया जाएगा या जहां उसे पहुंचाया जाना है वहां।

५९ बंदरगाह की गोदी से गला-सड़ा सामान हटाना: यदि कोई जहाज पोर्ट पर गला-सड़ा, पुराना, खराब या जर्जर हालत में सामान उतारता है जो पोर्ट के स्वास्थ्य अधिकारी की नजर में सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है या उसमें से उतारा गया सामान खराब या गल-सड़ गया है जो उक्त पोर्ट के स्वास्थ्य अधिकारी की नजर में सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है तो टफिक मैनेजर उसके मालिक को वहां बुला सकता है या यदि मालिक इससे इनकार करता है, विवाद करता है या जि मेदारी उठाने से बचता है या वहां उसका कोई मालिक, मास्टर, एजेंट नहीं है जिसके जहाज से ये सब वहां पोर्ट पर उतारा गया है तो उस सामान को वहां से हटा दिया जाएगा, यदि संबधित नोटिस मिलने के १८ घंटों के भीतर जहाज का मास्टर, मालिक या एजेंट जवाब नहीं देता तो ट्रैफिक मैनेजर उस सामान को नष्ट करने के आदेश दे सकता है। उसके ४८ घंटे बाद जहाज के मास्टर, मालिक या एजेंट को इस पर आया समूचा खर्च पोर्ट अधिकारियों को अदा करना होगा।

६० खानेपीने का सामान पोर्ट पर खराब होने से बचाना: रसायन, उर्वरक, कीटनाशकों, जहरीले पदार्थों से भरे कारगो, जिनसे खानेपीने के सामान के खराब होने का जोखिम हो को भंडारगृह के किसी भी स्थल पर नहीं उतारा जाएगा, उसकी डिलीवरी में विलंब नहीं होगा, बशर्ते उसे वहां उतारे जाने की अनुमति ट्रैफिक मैनेजर से ली न गई हो। सभी मामलों में जहां ऐसी अनुमति नहीं दी गई है तो जहाज या तो वह सामान सीधे गोदी में उतारा जाएगा, बशर्ते स्टीमर एजेंटों व माल पाने वालों द्वारा वहां पोर्ट पर ट्रैफिक मैनेजर के लिहाज से संतोषजनक सुरक्षा बंदोबस्त नहीं करा दिए जाते ताकि वह सामान को उतारे गए स्थान, रेल-सडक परिवहन से स्टीमर एजेंटों द्वारा उनके भंडारण के लिए ट्रैफिक मैनेजर द्वारा निर्धारित स्थलों तक पहुंचा दिया जाए।

६१ उनकी बर्थ से जहाजों का ट्रांसफर: ट्रैफिक मैनेजर या तो स्वयं या डिप्टी कंजरवेटर के जरिये किसी भी जहाज का पोर्ट पर एक बर्थ से किसी अन्य बर्थ पर स्थानांतरित करने के निर्देश दे सकता है बशर्ते दूसरी बर्थ खाली हो। इस नियम के तहत किसी जहाज को एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए १२ घंटों का नोटिस दिया जाना होता है। इस नियम के अधीन किसी जहाज को एक जगह से दूसरे स्थान पर लेकर जाने की वजह से हुए विलंब के लिए पोर्ट जि मेदार नहीं होगा।

६४ जहाज के कारगो से निकासी उसके मास्टर आदि या जहाजी कुली की निगरानी में ही, उनकी जवाबदेयी : जहाज के कारगो से निकासी को जहाज पर तैनात उसके मास्टर या मालिक या पोर्ट पर ऐसे कामकाज के लिए कंजरवेटर द्वारा लाइसेंसप्राप्त जहाजी कुली के निर्देशन या अधीक्षण में ही अंजाम दिया जाएगा, न कि किसी अन्य तरीके से। ऐसे जहाज से सामान उतारते समय बरती गई लापरवाही या अनुचित ढंग से काम करने की वजह से हुए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए ऐसे मास्टर या मालिक या पोर्ट पर ऐसे कामकाज के लिए कंजरवेटर द्वारा लाइसेंसप्राप्त जहाजी कुली की जवाबदेयी होगी और वह हर सूरत में नि नलिखित बचाव उपाय अपनाएंगे, नामत:

१) इससे पहले कि जहाज में कोई सामान लादना शुरू किया जाए, स्लिंग सीधा बिछाया जाना चाहिए न कि उसमें मोड़-तरोड़ हो।

२) हर एक स्लिंग को तैयार करने के उपरांत लकड़ी के बार के साथ झूलने वाला लूप अच्छे से बना हो ताकि पकड़ मजबूत हो।

६५ कारगो पर कार्यरत मास्टर आदि और जहाजी कुलियों को जहाज पर पर्याप्त रोशनी: पोर्ट में ऐसे जहाज के कारगा पर मौजूद मास्टर और मालिकों के अलावा अन्य जहाजी कुली आदि जहाज के हर उस कोने में जहां पोर्ट की क्रेनों की मदद से कामकाज चल रहा है, तटों पर या अन्य संपत्तियों आदि में रोशनी के पर्याप्त प्रबंधों के लिए संयुक्त रूप से व पूर्णतया जि मेदार होंगे। वरना किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान, अंग भंग या संपत्ति को क्षति के लिए संयुक्त रूप से व पूर्णतया जवाबदेय होंगे।

६६ जहाजों के उठे हुए भागों के नीचे इस्तेमाल नहीं किए जाने वाले स्लिंग-क्रेन की कसर निकालना: पोर्ट में माल उतार रहे किसी जहाज के उठे हुए भागों के नीचे खुले स्थान में सीधे आयातित सामान के स्लिंग्स को सीधे लटकाया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में जहाज के कोनों के नीचे से सामान हटाने या गट्ठे खोलने में पोर्ट की क्रेनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

६७ जहाज की चरखो का इस्तेमाल:

जहाज में सामान लादने या उतारने के समय अपनी क्रेनों और चरखियों का इस्तेमाल करने वाले मास्टर और मालिक उनके सामान को नुकसान या क्षति के लिए किसी भी सूरत में जि मेदार होंगे।

नोट: (१) क्रेन को ऐसी स्थिति में लगाया जा सकता है जैसा कि जहाजी कुली ने निर्देश दिया हो।

(२) जहाज के अधिकारी देखंगे कि पोर्ट की क्रेनें उसके गियर के बेहद समीप काम कर रही हों।

६८ भारी लि ट्स:

ट्रैफिक मैनेजर चाहें तो किसी जहाज से १० टन से ज्यादा वजनी अकेले सामान या गट्ठे को नीचे उतारे जाने से रोक सकते हैं, बशर्ते इस उद्देश्य के लिए पोर्ट की ही क्रेनों का इस्तेमाल किया जा रहा हो, यदि उसे लगे कि ऐसा करना आवश्यक है या वह तरीका ज्यादा सही है।

६९ भारी लि ट्स से निकासी:

दस टन से ज्यादा वजनी अकेले सामान या गट्ठे को तब तक जहाज से नीचे उतारने की अनुमति नहीं होगी जब तक इस संदर्भ में उसके ही द्वारा तयशुदा नियमों एवं शर्तों के अधीन ट्रैफिक मैनेजर स्वीकृति नहीं देता। पोर्ट प्राधिकारी ऐसे सामान या गट्ठे का किसी भी तरह के नुकसान या क्षति के लिए जवाबदेय नहीं होगा।

७० भारी गट्ठों की मार्किंग और उन्हें बांधना:

एक मीट्रिक टन से अधिक वजनी और ओवरवेट (यहां इस नियम के तहत भारी गट्ठे से आशय) अकेले सामान या गट्ठे को पोर्ट में किसी भी जहाज में तब तक नहीं चढ़ाया जाएगा जब तक ऐसे हर एक सामान या गट्ठे का सकल वजन उस पर साफ रूप से टिकाऊ तौर पर मार्किंग से लिखा न गया हो और उसे माल भेजने वालों या उनके एजेंटों द्वारा नि नलिखित तरीकों से बांधा न गया हो।

(१) भारी गट्ठों पर मार्किंग का तरीका–

(ए) ऐसे किसी भारी गट्ठे पर उसका सकल वजन अंग्रेजी में और यदि संभव हो तो स्थानीय भाषा में ऐसे रंग से लिखा जाएगा जिसे आसानी से मिटाया न जा सके।

(बी) यदि भारी गट्ठे का रंग हलका है तो उस पर काले रंग से मार्किंग की जानी चाहिए और यदि वह गहरे रंग का है तो सफद या पीले रंग से लिखा जाना चाहिए।

(२) सकल वजन को मीट्रिक टन/किलोग्राम में लिखा जाएगा:

क्लॉज-६ के प्रावधानों के विषयाधीन किसी भारी गट्ठे का वजन वहां उस पर सकल वजन के तौर पर मीट्रिक टन/किलोग्राम में लिखा जाएगा।

(३) मार्किंग का स्थान: सकल वजन उस भारी गट्ठे के दो छोरों पर लिखा जाएगा ताकि वह रखा किसी भी स्थित में जाए, उसे देखना सुविधाजनक हो।

(४) वर्णों और अंकों का आकार: भारी गट्ठों पर लिख जाने वाले उसके सकल वजन को कम से कम साढ़े सात सेंटीमीटर (तीन इंच) लंबाई ओर साढ़े दस सेंटीमीटर चौड़ाई में लिखा जाना चाहिए।

(५) पैकिंग का तरीका:

(क) भारी गट्ठों में रख सामान को एक मजबूत कवरिंग में सुरक्षित ढंग से इस तरह बांधा जाना चाहिए कि उसके अंदर किसी तरह की ढुलाई के समय उसमें हिलडुल न हो और कवरिंग को नुकसान न पहुंचे।

(बी) कवरिंग ऐसी सामग्री से बनी होनी चाहिए कि उसकी मजबूती उस गट्ठे को जहाज में चढ़ाते-उतारते समय उठापटक का दबाव सह जाए और उसे उठाने वाले व्यक्तियों के चोटिल होने की संभावना कम से कम हो जाए।

७१ चुनिंदा परिस्थितियों में अनुमानित वजन की मार्किंग:

जहां जिस स्थान से भारी गट्ठा भेजा जा रहा है और वहां सही वजन करने का उपयुक्त साधन नहीं है तो उसका अनुमानित न्यूनतम या अधिकतम मीट्रिक टन/किलोग्राम वजन उपरोक्त तरीके से उस पर अंकित किया जाएगा।

बशर्ते कि वह अनुमानित अधिकतम वजन इतना आंका जाए कि वह असल वजन से कम न हो।

माल भेजने वाले और उनके एजेंट, जहाज के एजेंट और जहाजी कुली इस नियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए जि मेदार होंगे।

७१ जोखिमपूर्ण माल- सामान्य प्रतिबंध-

पोर्ट की सीमाओं के दायरे में ऐसे जोखिमपूर्ण करार दिए गए सभी माल, जिन्हें उनकी प्रवृत्ति के अनुरूप समय-समय पर डिप्टी कंजरवेटर द्वारा प्रतिबंधों और शर्तों में बांधा गया है, की ढुलाई, परिवहन और भंडारण उन नियमों के विषयाधीन होगा।

७२ पोर्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए गियर और अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल: सभी कारगो की साजसंभाल में इस्तेमाल होने वाल पोर्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए गियर और सामग्रियां जब जरूरत न हो तो पोर्ट के स्टोर विभाग में लौटाई जानी चाहिए और उन्हें सड़क या इधर-उधर फेंका नहीं जाना चाहिए। जहाजों के मास्टरों और मालिकों के अलावा जहाज कुलियों से ऐसे सभी सामान का प्रभार शुल्क वसूला जाएगा वह भी उस तारीख से जब उन्हें जारी कराया गया और जिस तारीख को उन्हें स्टोर में लौटाया गया तक। ऐसे सभी सामग्रियां जो पोर्ट ने उपलब्ध नहीं कराईं गईं, उन्हें काम पूरा होने के दो घंटों के भीतर पोर्ट इलाके में जहां-तहां सड़कों या इलाकों में से उठा लिया जाएगा। यदि इसमें कोताही बरती जाती है तो यह काम ट्रैफिक मैनेजर द्वारा कराया जाएगा और फिर जहाज के मास्टरों और मालिकों के अलावा जहाज कुलियों से या फिर ऐसे व्यक्ति से जिसकी वह सामग्रियां हैं, वे लोग इस पर आया खर्च वहन करने को जवाबदेय होंगे।

७३ हथियार: पोर्ट में दाखिल होने वाले हर एक जहाज के मास्टर, मालिक या एजेंट और इंपोर्ट कारगो में लदे हथियार और गोली-बारूद वाले गट्ठों की वहां उतराई की सूचना पोर्ट में दाखिल होते ही तत्काल ट्रैफिक मैनेजर को ऐसे तमाम गट्ठों के विवरण की सूची सहित देनी होगी। कारगो खाली करने के बाद ऐसे तमाम गट्ठे मास्टर द्वारा शेड फोरमैन के सीधे प्रभार में सैंपने होंगे, जो निर्धारित प्रपत्र में उसकी पावती देगा और तत्काल उन गट्ठों को ट्रांजिट शेड में तालाबंद कर देगा। पावती की रसीद जारी करने से पूर्व हथियारों वाल गट्ठों की अंदरूनी हालत की सावधानीपूर्ण तरीके से जांच की जाएगी और यदि वहां किसी विशेष हालात में ध्यान दिए जाने की जरूरत हो तो उसके संबंधित कॉलम में उसका उल्लेख अवश्यक किया जाएगा। ऐसे हथियारों आदि से भरे गट्ठे पोर्ट पर कभी भी रात में नहीं उतारे जाएंगे। पोर्ट प्राधिकारी ऐसे हथियारों आदि से भरे किसी भी गट्ठे को किसी जहाज में से इस नियम के प्रावधानों की दृढ़ता से अनुपालना के साथ उतारे जाने से इतर समय व हालात के लिए किसी भी रूप में जि मेदार या जवाबदेय नहीं होंगे।

पोर्ट चाहे तो किसी जहाज को या जहाजों की कतार को इस नियम के प्रावधानों में छूट दे सकता है जिन्हें कंजरवेटर इस छूट के उपयुक्त मानता हो।

७४ गोली-बारूद और विस्फोटक:

साधारण पटाखां, आतिशबाजियों से इतर, यदि कोई पोत पोर्ट में गोली-बारूद या विस्फोटकों लदा हुआ प्रवेश करता है जिसमें ५० किलोग्राम से अधिक गनपावडर शामिल हो, तो उसका मास्टर दिन के समय पोर्ट के प्रवेश पर लाल रंग का झंडा दिखाएगा जबकि सूर्यास्त के समय से सूर्योदय के बीच समय में वह तब तक लाल बत्ती जलाएगा जब तक वह पोर्ट की सीमा के दायरे में है।

७५ विस्फोटकों या अन्य खतरनाक कारगो की उतराई:

(१) कलेक्टर ऑफ कस्ट स और डिप्टी कंजरवेटर की पूर्वानुमति के बिना गनपावडर या अन्य विस्फोटक या खतरनाक कारगो से लदे किसी गट्ठे को पोर्ट की सीमा के दायरे में नहीं उतारा जाएगा और उसकी उतराई या शिपमेंट के दौरान पोर्ट प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर सुरक्षा के लिए बनाए गए व दिए गए दिशा-निर्देशों की स ती से अनुपालना की जाएगी।

(२) खतरनाक सामग्रियों या अन्य जोखिमपूर्ण पेट्रोलियम पदार्थों की जहाज में लदाई करते समय, उतारते समय या उसकी साजसंभाल करते समय दोनों को एक-साथ नहीं रखा जाएगा। सभी हवादार मार्गों के मामले में सावधानी बरती जाएगी।

५ ईंधन और गैर-जोखिमपूर्ण पेट्रोलियम की निकासी एवं शिपमेंट

७६ थोक में ईंधन तेल की उतराई: थोक में ईंधन तेल से लदे जहाज पेट्रोलियम रूल्स, १९३७ के प्रावधानों और अन्य नियमों या सुरक्षा पु ता करने हेतू ट्रैफिक मैनेजर द्वारा गठित या प्रदत्त दिशा-निर्देशों का पालन करेंगे।

७७ पेट्रोलियम ईंधन तेल की बंकरिंग:पोर्ट में खड़े जहाजों में पेट्रोलियम ईंधन तेल भरे जाते समय नौकाओं व टैंक वाहनों को नि नलिखित शर्तों के विषयाधीन अनुमति दी जाएगी : नामत:

(ए) जिस समय कोई जहाज अपने बंकरों में ईंधन तेल भरवा रहा है तो उसका मास्टर या उसका पहला साथी उस पर तैनात रहेगा और वह देखगा कि इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन हो रहा हो और वहां सुरक्षा के सभी पर्याप्त बचावात्मक उपाय अपनाए जा रहे हों।

(बी) पोत अधिकारी नजर रखगा और जहाज के बंकरों में तेल की आपूर्ति कर रही कंपनी का एक सहायक तेल भरे जाते समय संबंधित पाइप के साथ खड़ा होगा।

(सी) जब तक तेल भरे जाने की प्रक्रिया जारी हो तो वहां मौके पर धूम्रपान, कुकिंग, रोशनी या फॉर्जेस की अनुमति नहों होगी।

(डी) वहां सतह या पोर्ट बेसिन में तेल की बूंद नहीं गिरे, इसलिए कनेक्टिंग सर्विस पाइप के नीचे एक उपयुक्त गटर या कोई अन्य तरकीब अपनाई जाएगी।

(ई) इस प्रक्रिया के दौरान जहाज के किसी उपकरण की नाकामी या आपूर्तिकर्ता की मशीन में खराबी की वजह से यदि पोर्ट की किसी संपत्ति को नुकसान होता है या क्षति पहुंचती है तो तेल भरवा रहे जहाज के मास्टर या मालिक और तेल कंपनी के आपूर्तिकर्ता संयुक्त रूप से उस नुकसान व क्षति के जवाबदेय होंगे।

(एफ) इस्पात की प्लेटों, लोहे की पटरियों और ऐसे ही सामान से लदे कारगो के अलावा, जिन पर तेल का असर नहीं होता, किसी अन्य को तट की सीमा के ५० फीट के दायरे में आने की अनुमति नहीं होगी, जब तेल भरने का काम चलता है तब तक शेड के दरवाज तत्काल बंद रख जाएंगे।

(जी) इससे पहले कि तेल भरने की प्रक्रिया शुरू हो, सहायक देखगा कि तेल डिपो से जुड़े सभी टेलीफोन चालू हालत में हों।

६ आग और रोशनियों के संदर्भ में नियम

७८ धूम्रपान आदि–

पोर्ट की सीमा में स्थित किसी शेड या वेयरहाउस में किसी भी तरह की खुली आग या रोशनी के इस्तेमाल पर स त रोक होगी और वहां कोई भी व्यक्ति न तो लाइटर जलाएगा और न ही माचिस या अन्य ज्वलनशील पदार्थ सुलगाएगा, वैसे इन कामों के लिए निर्धारित स्थलों को छोड़कर।

७९ आग और रोशनी:

(ए) डिप्टी कंजरवेटर द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित स्थल के अलावा कोई भी जहाज धुआं नहीं छोड़ेगा।

(बी) पोर्ट की सीमा में जहाजा के पिच या डैमर को गर्म नहीं किया जाएगा, और न ही मोमबत्तियों या ऐसे किसी अन्य असुरक्षित बनावटी रोशनियों द्वारा ऐसे जहाजों पर स्पट निकाली जाएगी।

(सी) कपास को जहाज पर लोड करते समय वहां किसी भी तरह की खुली रोशनी नहीं होनी चाहिए।

(डी) पोर्ट की सीमाओं के भीतर किसी जहाज में लादकर गनपावडर, गोली–बारूद या अन्य ४५ किलोग्राम से अधिक वजनी विस्फोटकों को लाते

समय या उनकी उतराई करते समय एक्सप्लोजिव्स रूल्स, १९४० में प्रदत्त प्रावधानों को छोड़कर किसी भी किस्म की आग, खुली रोशनी या धूम्रपान की अनुमति नहीं होगी।

८० पोर्ट में जहाजों की पहुंच और पुलिस अधिकारी: जब वहां आग और रोशनियों के इस्तेमाल से नुकसान या क्षति होती है तो पोर्ट में खड़े जहाज पुलिस अधिकारियों को जांच-पड़ताल के लिए बेरोकटोक पहुंच की अनुमति देंगे और कोई भी आग बुझाने या रोशनी बंद करने में पुलिस अधिकारी या पहरेदार के आदेश की अवहेलना नहीं करेगा।

७ मिलाजुला

८१. पोर्ट का क्षेत्र और जहाजी घाट आदि ट्रैफिक मैनेजर के अधिकार क्षेत्र में आयेंगे।

१-पोर्ट की सीमाओं के दायरे में आते जहाजी तट, शैड, द्वार, और अन्य क्षेत्र ट्रैफिक मैनेजर के अधिकार क्षेत्र के अधीन होंगे, और जो जहाजों के आने और माल के परिवहन से लेकर उनका शैड में या खुले में भंडारण कराने संबंधी सभी काम काज का निर्देशन करेंगे और प्रबंधन देखंगे, वह पोर्ट में सभी सामान की यथोचित अभिरक्षा करेंगे और वह ऐसे कदम उठाएंगे जो पोर्ट के भीतर समुचित रखरखाव के लिये आवश्यक हो सकते हैं।

२-किसी भी व्यक्ति को ट्रैफिक मैनेजर के अधिकार क्षेत्र के अधीन या उनके द्वारा जारी परमिट और टोकन के बिना पोर्ट क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, यह परमिट या टोकन जांच पड़ताल के लिये किसी अधिकृत पुलिस अधिकारी या किसी अधिकृत पोर्ट अधिकारी के मांगने पर दिखाना होगा। किसी भी व्यक्ति को जारी उसका परमिट या टोकन किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति अपना टोकन या परमिट किसी अन्य व्यक्ति को इस्तेमाल के लिये देता है और वह ऐसा करते हुये पकड़ा जाता है तो वह परमिट जब्त करके रद्द कर दिया जाएगा।

८२. पोर्ट के विभिन्न विभागों के काम-काजी समय के नियम :-

पोर्ट परिसर के भीतर जहाजों की आवाजाही संबंधी काम काज हेतु वहां बनाये गये विभिन्न विभागों में से प्रत्येक में काम काजी घंटों अथवा समय के आबंटन को समय समय पर ट्रैफिक मैनेजर द्वारा संबंधित विभागों में नोटिस लगा कर अधिसूचित किया जाएगा और वहां इस अधिसूचित समयावधि से बाहर पोट के भीतर कोई काम नहीं होगा, केवल ट्रैफिक मैनेजर की लिखित अनुमति के साथ ऐसा संभव है।

८३. रात्रिकाल और अवकाश में काम काज :-

रात के समय या रविवार अथवा किसी अवकाश के दिन काम काज की अनुमति हेतु ट्रैफिक मैनेजर के पास आवेदन करना होगा जो कस्टम विभाग से आवश्यक मंजूरी प्राप्त कर वहां समूचित ढ़ंग से कामकाज हेतु आवश्यक प्रबंध करेंगे। ऐसे दिनों में और रात के समय काम काज की अमुमति इस उद्देश्य हेतु वर्णित विशेष प्रभारों के भुगतान के विषयाधीन होंगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम हेतू अवकाश वे होंगे जिन्हें समय-समय पर डिप्टी कंजरवेटर द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

८४. पोर्ट में प्रवेश :- पोर्ट के प्रवेश द्वारों और छोटे फाटकों को प्राधिकारियों द्वारा उनके लिए निर्धारित समय के दौरान खोलकर रखा जाएगा और द्वारों से इस समय के अलावा आना-जाना उन्हीं लोगों को स्वीकृत होगा जिनके पास ट्रैफिक मैनेजर द्वारा इसके लिए जारी विशेष पास होंगे।

८५ खानपान का सामान लेने के लिए डॉक श्रमिकों और नाविकों के

लिए अलग स्थल:

नाविकों और डॉक पर काम करने वाले श्रमिकों को उनके लिए

खानपान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतू ट्रैफिक मैनेजर के आदेशानुसार समय-समय पर जैसी जरूरत या अवसर हो चुनिंदा स्थल निर्धारित किए जा सकते हैं, और यह खानपान का सामान लान वाले व्यक्ति उन्हीं स्थलों तक सीमित रहेंगे और वहां तक आने-जाने के रास्तों को नोटिस बोर्ड पर सूचना के रूप में इंगित किया जाएगा।

८६ शेड्स में डिब्बों को खोलने और मर मत के लिए लाइसेंस प्राप्त कारपेंटरों को अनुमति होगी:

डिब्बों के मालिकों के कहने पर उन्हें खोलने और उनकी मर मत के लिए ट्रैफिक मैनेजर इस काम के लिए प्रशिक्षित कारपेंटरों को लाइसेंस जारी करेंगे और इन लाइसेंसों प्राप्त कारीगरोंके अलावा अन्य को पोर्ट के अंदर काम करने की इजाजत नहीं होगी और न ही वहां इसके लिए कोई औजार या अन्य उपकरण ही भीतर ले जाए सकेंगे।

८७ फेरी वालों को लाइसेंस जारी करना:

कोई भी व्यक्ति पोर्ट परिसर के अंदर या किसी जहाज पर तैनात व्यक्ति को सामान बेचने के लिए फेरी लगाने या सामान आदि बेचने की अनुमति ट्रैफिक मैनेजर ऐसे लोगों को लाइसेंस जारी कर सकता है, बशर्ते कि वे लोग लिखित में कस्टम विभाग के कलेक्टर से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करेंगे, लेकिन ऐसे लाइसेंस प्राप्त लोग भी जहाज के मास्टर, मालिक या एजंट की मंजूरी लिए बिना वहां पोर्ट के भीतर खड़े जहाज के अंदर जाने के पात्र नहीं होंगे।

८८ ट्रकों और हथठेलों को हटाना:

माल से लदे ट्रकों और हथठेलों को, जिन्हें पोर्ट परिसर से तत्काल बाहर नहीं निकाला गया है, उन्हें माल के मालिक के खर्च और जोखिम पर ट्रैफिक मैनेजर द्वारा बाहर निकाला जाएगा। कारोबारियों और अन्य के पोर्ट परिसर में छोड़े गए ट्रकों और हथठेलों को ट्रैफिक मैनेजर बाहर निकालने और जब्त किर लिए जाने के अधिकारी होंगे।

८९ पोर्ट की संपत्ति को पहुंचे नुकसान और क्षति : पोर्ट चैनल के भीतर, पोर्ट के प्रवेश द्वार या अंदर किसी भी स्थल पर किसी एंकर, तार-रस्सी, जीवन रक्षक उपकरणों या सामान को या पुली को खोचने वाली रस्सी-तार को काटने, किसी जगह को खराब करने या उन्हें क्षति पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति उस नुकसान या क्षति की रुपए-पैसों से भरपाई के लिए जवाबदेय होगा, फिर चाहे उस पर पहले से ही किसी कानून के उल्लंघन के मामले में कोई जुर्माना या दंड क्यों न लगाया गया हो।

९० अधिकारियों के कामकाज में बाधा आदि: पोर्ट के किसी भी कर्मचारी को उसके कामकाज के तौरतरीकों पर कोई भी व्यक्ति उन्हें न तो तंग करेगा, न हमला करेगा, न मुकाबला करेगा, न उसके काम में रुकावट डालेगा, न डराएगा-धमकाए या दखलंदाजी करेगा और न ही ये सब करने-कराने की धमकी देगा और न ही उसके कानूनी आदेशों की अवहेलना करेगा या न ही उसके खिलाफ अमार्यादित या असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करेगा और न ही अन्य को ऐसा करने के लिए भड़काएगा।

९१ वाहनों का चलाना: सामान आदि को लाने-ले जाने में इस्तेमाल मोटर लॉरियां या अन्य वाहन पोर्ट के भीतर सड़कों, जहाजी घाटों, तटों पर नहीं दौड़ाएगा और न ही उन्हें ट्रैफिक मैनेजर द्वारा जारी लाइसेंस के बिना वहां पोर्ट के भीतर आने-जाने की ही अनुमति होगी, केवल नि नलिखित प्रावधानों के अनुरूप संचालन को छोड़कर, नामत:

१ सभी मामलों में ऐसे वाहन मोटर व्हीकल्स एक्ट १९३९ के प्रावधानों व उसके तहत गठित नियमों का अनुपालन करेंगे

२ इन वाहनों को पोर्ट के भीतर लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा

३ ऐसे वाहन पोर्ट के भीतर केवल निर्धारित मागों पर ही दौड़ेंगे लेकिन उन्हें जहाजी घाटों, तटों, ट्रांजिट शेड्स, माल रखने या उतारने वाले खुले भंडारण स्थलों पर दौड़ाने की अनुमति होगी लेकिन ये सब पुलिस अधिकारियों और पोर्ट अधिकारियों की आज्ञा के विषयाधीन होगा।

४ ऐसे मोटर वाहन जब पोर्ट के भीतर आएंगे या वहां से जाएंगे तो उन्हें तब तक पोर्ट के प्रवेश द्वार पर रुकना होगा जब तक पोर्ट अधिकारियों द्वारा/या और प्रवेश द्वार पर तैनात कस्टम अधिकारियों से अंदर-बाहर जाने की मंजूरी हासिल नहीं कर ली जाती और वहां उनके ड्राइवरों को लॉरी या वाहन चलाने का लाइसेंस दिखाने के लिए मांगे जाने पर दिखाना होगा।

५ किसी भी वाहन को पोर्ट के भीतर सामान लादने या उतारने के उद्देश्य से ट्रैफिक मैनेजर द्वारा प्रदत्त आवश्यक व समय से ज्यादा रुकने का स्वीकृति पत्र नहीं होगा। वहां पोर्ट के भीतर बिना कामकाज के घूमने या टहलने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी।

६ किसी भी ऐसे वाहन को पोर्ट परिसर के भीतर बिना ट्रैफिक मैनेजर की मंजूरी के वहां पेट्रोल या ईंधन तेल अपनी टंकियों में भरने को इजाजत नहीं होगी।

७ इस नियम के अधीन किसी वाहन को दिया गया लाइसेंस ट्रैफिक मैनेजर जब चाहें बिना कारण बताए रद्द कर सकते हैं जिसमें लाइसेंस की शेष अवधि की बची राशि, यदि कोई है तो वह किसी भी रूप में लौटाई नहीं जाएगी।

९२ ग्रेच्युटी या शुल्क की पेशकश:

पोर्ट के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को कोई शुल्क, ग्रेच्युटी या पुरस्कार पेश नहीं किया जाएगा, जिसे अनुशासनात्मक कार्रवाई की शिकायत के उपरांत पाने के लिहाज से ऐसे किसी भी शुल्क, ग्रेच्युटी या पुरस्कार को पाने रोका गया है।

९३ संकेत: पोर्ट पर सभी जहाजों को अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप सभी आवश्यक संकेतों/सिग्नलों का इस्तेमाल करना होगा और उसके जवाब में पोर्ट के सिग्नल स्टेशन मास्ट-हैड पर कुछ सिग्नल दिखाकर/फहराकर उन्हें जवाब दिया जाएगा। इसके लिए दिन के समय मोर्स और संकेत पद्धति के कोड्स द्वारा ध्वज 'जेड' का इस्तेमाल करते हुए जबकि रात में छोटे-छोटे अंतरालों पर सिग्नल स्टेशन में कॉल-अप करके सूचित करना होगा।

९४ खराब मौसम के लिए प्रबंध: विपरीत या खराब मौसम के पूर्वानुमान या उसकी संभावना के चलते हर एक जहाज के मास्टर को नि नलिखित दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी- नामत:

(क) सूर्योदय या सूर्यास्त के दौरान वह जहाज से उतरकर कहीं नहीं जाएंगे

(ख) सूचित किए जाते ही निकलने के लिए तैयार रहने को उन्हें अपना जहाज तैयार रखना होगा। यदि वह ऐसा नहीं कर पाएं तो उन्हें इसकी जानकारी डिप्टी कंजरवेटर को देंगे

(सी) खतरे का संकेत किए जाने पर वह अपने जहाज की सुरक्षा के लिए सभी सुरक्षा उपाय अपनाएंगे क्योंकि फिर पोर्ट अधिकारियां द्वारा उन्हें कोई अतिरिक्त जानकारी नहों दी जाएगी

९५ पोर्ट में आने वाले सभी जहाजों को वहां रुकने के दौरान और वहां से निकलते समय उन्हें इंडियन पोर्ट हैल्थ रूल्स, १९५५ के प्रावधानों की अनुपालना करनी होगी।

९६ नियमों की अवहेलना करने पर दंड:

यदि कोई व्यक्ति इन नियमों में से या उनके अधीन प्रदत्त किसी आदेश की अवहेलना करता है तो उसे उसके लिए दंडित किया जा सकता है जो एक हजार रुपए के जुर्माने तक हो सकता है।

.....

.....

पारादीप पोर्ट रूल्स, १९६६ को भारतीय गजट में जीएसआर सं. १९८२ द्वारा दिनांक २४-१२-१९६६ को प्रकाशित किया गया था।